**गैर-सरकारी एजेंसी को विज्ञापनों हेतु ठेका दिया जाना**

*123. **मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने समाचार-पत्रों में अपने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये इसका का किसी गैर-सरकारी एजेंसी को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के होते हुए ऐसा कदम उठाने के क्या कारण हैं;

(ग) गैर-सरकारी एजेंसी को ठेका दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) इस एजेंसी के माध्यम से जिन समाचार-पत्रों में डाक-तार विभाग के विज्ञापन प्रकाशित होंगे, उनकी सूची कौन तैयार करेगा;

(ङ) उन समाचार-पत्रों के भाषा-वार नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1993-94 के दौरान इस एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित हुए ; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वर्ष-वार तथा भाषा-वार कितने-कितने मूल्य के विज्ञापन प्रकाशित हुए ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग) डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग ने अपने विज्ञापनों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से कोई करार नहीं किया है। तथापि, डाक विभाग तत्काल आवश्यकता या रंगीन विज्ञापनों के मामलों में विशिष्ट कार्यों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने वाली प्राइवेट एजेंसियों की सेवाएं लेता है। दूरसंचार विभाग की कई बार तत्काल आवश्यकता वाले मामलों में डी० ए० वी० पी० की दरों पर सीधे ही समाचार-पत्रों को विज्ञापन भेजता है तथापि, कभी-कभी ये विज्ञापन, प्राइवेट एजेंसियों के साथ कोई करार किए बिना, उसके माध्यम से भी प्रकाशित कराए जाते है।

(घ) और (ङ) यदि विज्ञापन ग्राम-श्वेत हो तो सामान्यता विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचार-पत्रों की सूची डी० ए० वी० पी० द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि, उन समाचार-पत्रों की सूची प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है जिनमें 1993-94 के दौरान किसी विशेष एजेंसी के जरिए विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे क्योंकि इस एजेंसी का नाम नहीं बताया गया है।

(च) डाक विभाग ने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से 1992-93 में 68,07,900/- रु० तथा 1993-94 में 53,56,060/- रु० के विज्ञापन रिलीज किए थे। इस संबंध में 1991-92 की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, 3 वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**Reduction in import duty on gold**

*125. SHRI G. G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that international bullion merchant guides and associations have estimated gold import in India;

(b) if so, what are their estimates and observations;

(c) what was the quantum of legally imported gold in India through NRIs and jewellers during the last year;